संख्या : 44/2026/2067/94-1-2026-312(177)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 30 सितम्बर, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 03-महंगाई भत्ता में से 03-मुख्यालय एवं 04-जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों एवं 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेसिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट के मानक मद 08-कार्यालय व्यय व 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु मानक मद में पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1277/नौ-104(बजट)/2026-27 दिनांक 17.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 03-महंगाई भत्ता में से धनराशि ₹1354.00 लाख का 03-मुख्यालय एवं 04-जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 03-महंगाई भत्ता में से 03-मुख्यालय एवं 04-जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि ₹640.00 लाख (रुपये छः करोड़ चालीस लाख मात्र) का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।

(4) उक्त मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्यय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रकरण के विधिक पक्षों के परीक्षण तथा देय धनराशि के निर्धारण आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय का होगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के आर०ई० संख्या-बजट-1-119-E-9-110-X-2026-27 दिनांक 28.09.2026 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2030030010300 (मुख्यालय-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010300 मुख्यालय-	09 विद्युत देय	2,40,00,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र)
2	091	2030030010300 मुख्यालय-	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
3	091	2030030010300 मुख्यालय-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**5,90,00,000 (रुपये पाँच करोड़ नब्बे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2030030010400 (जिला व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010400 जिला व्यय	09 विद्युत देय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	091	2030030010400 जिला व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	091	2030030010400 जिला व्यय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**
महायोग				**6,40,00,000 (रुपये छह करोड़ चालीस लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 44/2026/2067(1)/94-1-2026-312(177)/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।